इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई 2021—आषाढ़ 25, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

अधि. क्र. 3002,—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 (1) (च) सहपठित नियम, 2002 के नियम 279 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2019 में प्रकाशित "**प्रसूति सहायता योजना 2004**" की कण्डिका (4) की उपकण्डिका (4.1) में किये गये आंशिक संशोधन संबंधी अधिसूचना निरस्त की जाती है. **प्रसूति सहायता योजना 2004** अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 13 जुलाई 2018 अनुसार मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा **(प्रसूति सहायता)** योजना में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप समान हितलाभ देय होगा.

छोटे सिंह, सचिव.

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्रमांक 983 /मप्रविनिआ/2021 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (1) तथा 181 (1) की उपधारा (1) तथा धारा 181 की उपधारा (2) (फ) एवं (ब) सहपठित धारा 47 सहपठित भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में निम्न संशोधन करता है : अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2009 में द्वितीय संशोधन {एआरजी–17(I)(ii)वर्ष, 2021}

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :–

1.1 यह संशोधन **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी–17(I)(ii), वर्ष, 2021}"** कहलाएगा।

1.2 यह संशोधन संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगा।

1.3 यह संशोधन मध्यप्रदेश के शासकीय "राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. विनियमों में संशोधन

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 में विनियम 1.25 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"1.25 प्रतिभूति निक्षेप की राशि स्थाई विच्छेदन या संविदा में कमी किये जाने पर या करार (अनुबन्ध) के समापन पर या नवीन सेवा संयोजन (न्यू सर्विस कनेक्शन) हेतु आवेदन को निरस्त किये जाने पर सात दिवस के भीतर, औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने पर समस्त बकाया राशियों के समायोजन पश्चात् लौटा दी जाएगी। सात दिवस से अधिक विलंब होने, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रचलित बैंक दर से 1% अधिक दर पर ब्याज सात दिवस के विलंब हेतु देय होगा। अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विलंब की राशि को मिलाकर प्रत्यर्पण अवधि 120 दिवस से अधिक न हो, जिसका उल्लंघन किये जाने पर आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।"

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, सचिव.

Bhopal, the 15th July 2021

No 983/MPERC/2021- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 181, sub-section (2) (v) and (w) of Section 181 read with Section 47 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) read with the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 notified by Government of India and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following amendment to the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) Regulations, 2009, namely:-

Second Amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) (Revision-I) Regulations, 2009 [ARG- 17(I)(ii) of 2021]

1. Short Title and Commencement- 1.1 This amendment shall be called Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) (Revision-I) (Second Amendment) Regulations, 2009 [ARG- 17(I)(ii) of 2021].

1.2 It shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

1.3 It shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette of Govt of Madhya Pradesh.

2. **Amendment to the Regulations:**

In the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) (Revision-I) Regulations, 2009, for the Regulation 1.25, the following regulation shall be substituted, namely:-

"1.25 The Security Deposit shall be refunded to consumer either in case of permanent disconnection or reduction in Contract Demand or upon termination of the agreement or cancellation of application for new service connection, within 7 days of completion of formalities after adjustment of all dues. In case of delay beyond 7 days period, interest @ 1% over and above the prevailing Bank Rate shall be payable to the consumer by the Licensee for the period of delay beyond 7 days. The Licensee shall ensure that overall period of refund including the period of delay does not exceed 120 days, failing which penalty may be imposed on the Licensee by the Commission."

By order of the Commission,
GAJENDRA TIWARI, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्रमांक 984 /मप्रविनिआ/2021 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (1) तथा 181 (2) (यक एवं यख) सहपठित धारा 57, 59 तथा 86 (1) (झ) एवं विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 12 नवम्बर, 2012 को अधिसूचित मप्रविनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय–पुनरीक्षण) विनियम 2012 में प्रथम संशोधन {एआरजी–8(II)(i)वर्ष, 2021}

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :– 1.1 ये विनियम "**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण–द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 (एआरजी–8(II)(i)वर्ष 2021)**" कहलाएंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. अध्याय–7 में संशोधन

प्रधान विनियमों में विनियम 7.3 के पश्चात, निम्न विनियम जोड़े जाएं, अर्थात :

7.4 आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये निम्न मानदण्डों का प्रावधान करेगा :

(क) वर्ष में प्रति उपभोक्ता विद्युत कटौती की अवधि और आवृत्ति

एक. प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (एसएआईएफआई)

दो. प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एसएआईएफआई)

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 'एसएआईडीआई' या 'एसएआईएफआई', यथास्थिति, की गणना के लिये विचारित न्यूनतम विद्युत अवरोध/कटौती (आउटेज) समय (मिनटों में) को आयोग द्वारा पृथक से आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

7.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी केवल कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर जिन्हें पृथक कृषि संभरकों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाएगी, 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी कृषि उपभोक्ता को प्रतिदिन न्यूनतम 10 घंटे हेतु विद्युत की आपूर्ति करेगा।

7.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारी भारत सरकार द्वारा विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 की अधिसूचना तिथि से छः माह के भीतर विद्युत अवरोध/कटौती (आउटेज) के अनुश्रवण तथा पुर्नस्थापना के लिए एक तंत्र, वरीयतः यथासंभव, स्वचालित साधनो के साथ स्थापित करेगा।

3. अध्याय–8 में संशोधन

एक) प्रधान विनियमों में विनियम 8.1 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएं, अर्थात् :

8.1 क : यदि सफलतापूर्वक यह प्रमाणित हो जाता है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन में कोई चूक की गई है तो उपभोक्ता को ऐसे मानदण्डों जिनकी दूरस्थ तौर पर निगरानी की जा सकती है, के लिये स्वतः क्षतिपूर्ति की जाएगी।

8.1 ख : वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी वितरण प्रणाली को एक ऐसी रीति के अनुसार रूपांकित तथा अनुरक्षित करेगा जिसके अनुसार इसमें मानदण्डों जिनका दूरस्थ तौर पर अनुश्रवण किया जा सकता है और जिनके लिये उपभोक्ता को स्वतः क्षतिपूर्ति दी जा सकती है, में निरन्तर वृद्धि होती रहे।

8.1 ग : भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 की अधिसूचना से छः माह के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन अवधारित क्षतिपूर्ति राशि के स्वचालित भुगतान हेतु एक तन्त्र स्थापित करेगा।

दो) प्रधान विनियमों में, विनियम 8.2 के पश्चात् निम्न विनियम जोड़े जाएं, अर्थात् :

8.2 कः आयोग द्वारा विनियमों की अधिसूचना तिथि से 6 माह के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी ऑनलाईन सुविधा का सृजन करेगा जिस पर उपभोक्ता पंजीकरण करके अपनी क्षतिपूर्ति राशि का दावा कर सकता है। इस संबंध में उपभोक्ताओं के बीच पत्र–पत्रिकाओं, देयकों (बिलों), एसएमएस, ई–मेलों, या अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाईट पर अपलोड करने सहित उपयुक्त माध्यमों द्वारा व्यापक रूप से जानकारी संचारित की जाएगी।

8.2 खः क्षतिपूर्ति के सभी मामलों में, क्षतिपूर्ति भुगतान का समायोजन दावे के निर्धारण से 15 दिवस के भीतर विद्युत प्रदाय के चालू या आगामी देयकों के विरूद्ध किया जाएगा।

4. अध्याय –9 में संशोधन : प्रधान विनियमों में विनियम 9.10 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएं, अर्थात् :

9.11 नवीन संयोजन, संयोजन विच्छेद, पुनर्संयोजन, संयोजन के स्थानान्तरण, नाम तथा विवरणों में परिवर्तन, भार में परिवर्तन, मापयंत्र (मीटर) के प्रतिस्थापन, आपूर्ति न होने जैसी आम सेवाएं प्रदान करने के वितरण अनुज्ञप्तिधारी उस तिथि, जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाए से एक केन्द्रीकृत 24x7 चुंगीमुक्त (टोलफ्री) सेवा केन्द्र (काल सेंटर) की स्थापना करेगा।

विद्यमान वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सेवा केन्द्रों को इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से तीन माह के भीतर संचालित करेगा। एक नवीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपना कार्य प्रारंभ करने के तीन माह के भीतर किया जाएगा।

9.12 यद्यपि सेवाएं प्रदान करने के अन्य माध्यम जैसे पत्र, आवेदन, ई–मेल, मोबाइल, वेबसाईट, जारी रहेंगे, अनुज्ञप्तिधारी एक सर्वसामान्य ग्राहक संबंध प्रबंधक के माध्यम से समस्त सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से बेहतर अनुश्रवण तथा विश्लेषण हेतु अन्तिम छोर (बैक एण्ड) तक सभी अनुरोधित, प्राप्त तथा लंबित सेवाओं के समग्र परिदृश्य का अवलोकन कर सकेगा।

9.13 ग्राहक संबंध प्रबन्धक द्वारा आवेदन की प्राप्ति, सेवा प्रदाय, आवेदन की अद्यतन स्थिति में परिवर्तन आदि जैसे दृष्टांतों के बारे में उपभोक्ताओं और अधिकारियों को एसएमएस, ई–मेल, चेतावनी (अलर्ट), सूचनाएं प्रेषित करने, ऑनलाईन स्थिति की खोजबीन (ट्रेकिंग) करने तथा यदि सेवाएं निर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्रदान नहीं की जाती हैं तो सूचना के स्वयेंव उच्चतर स्तर तक पहुंचने संबंधी सुविधाएं धारित की जाएंगी।

5 प्रधान विनियमों मे परिशिष्ट 'अ' के स्थान पर निम्न परिशिष्ट स्थापित किया जाए :

परिशिष्ट : अ

सेवा क्षेत्र	प्रत्याभूतित मानदण्ड	प्रभावित उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति
(i) सामान्य फ्यूज ऑफ काल पर अनुक्रिया तथा सुधार कार्य		
शहरी क्षेत्र	कार्य दिवसों में 4 घंटों के भीतर तथा अकार्य दिवसों में 5 घंटों के भीतर	शिकायत के सुधार में विलंब होने पर, रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
ग्रामीण क्षेत्र	24 घंटे के भीतर	
(ii) लाईन भंग (breakdown) के कारण विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना {खंभों (पोल) का टूटना व उखड़ना असम्मिलित}		
शहरी क्षेत्र	दिन के प्रकाश में, 12 घंटों के भीतर	विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना किये जाने तक विलंब होने पर रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
ग्रामीण क्षेत्र	तीन दिवस के भीतर	
(iii) वितरण ट्रांसफार्मर के विफल होने पर		

संभागीय मुख्यालयों में, ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	12 घंटे के भीतर	विशिष्ट ट्रांसफार्मर के माध्यम से सेवाकृत समस्त उपभोक्ताओं को प्रति उपभोक्ता रू. 100 की दर से
संभागीय मुख्यालयों को छोड़कर, शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	24 घंटे के भीतर	
ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	शुष्क मौसम के दौरान 72 घंटे के भीतर तथा मानसूत्र मौसम के दौरान (माह जुलाई से सितम्बर तक) सात दिवस के भीतर	
(iv) अनुसूचित अवरोध अवधि (एक वर्ष में चार बार से अनाधिक)		
एक बार में अधिकतम अवधि	12 घंटे से अनाधिक	विलंब होने पर रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(v) मापयंत्र (मीटर) संबंधी शिकायतें		
निरीक्षण तथा शुद्धता की जांच	सात दिवस के भीतर	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति सप्ताह (अथवा उसका अंश)
धीमें, रेंगते हुए या रूके हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना	शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 72 घंटे के भीतर	
जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना, यदि इसका कारण उपभोक्ता पर आरोपित न किया गया हो		
अन्य समस्त प्रकरणों में, जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना	उपभोक्ता द्वारा प्रभार जमा करने के 7 दिवस के भीतर	
(vi) नवीन संयोजन/संविदा मांग में वृद्धि/संविदा मांग में कमी हेतु आवेदन		
निम्न दाब के प्रकरण में	जैसा कि यह अधिसूचित विद्युत	विलंब होने पर रू. 100 प्रति

लक्ष्य से विचलन हेतु	प्रदाय संहिता के अनुंसार लागू हो	दिवस (अथवा उसका अंश)
उच्च दाब तथा अति उच्च दाब के प्रकरण में लक्ष्य से विचलन हेतु	जैसा कि यह अधिसूचित विद्युत प्रदाय संहिता के अनुंसार लागू हो	विलंब होने पर रू. 200 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(vii) सेवा में परिवर्तन		
श्रेणी में परिवर्तन	औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर 15 दिवस के भीतर	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
निम्न दाब एकल फेस से निम्न दाब तीन फेज एवं यथा विलोम (vice versa) रूपांतरण	प्रभारों के भुगतान की तिथि तथा परीक्षण प्रतिवेदन जमा करने की तिथि से 15 दिवस के भीतर तथा यदि लाईन का विस्तार अपेक्षित हो तो 90 दिवस के भीतर	
उपभोक्ता के विवरणों में परिवर्तन हेतु लगने वाला समय	आवेदन की तिथि से 10 दिवस तक	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(viii) उपभोक्ता के देयकों से संबंधित शिकायतों का निराकरण		
यदि कोई भी अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित न हो तो	शिकायत प्राप्ति के दिवस को (उच्च दाब उपभोक्ताओं को छोड़कर)	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
यदि अतिरिक्त जानकारी संग्रहीत की जाना अपेक्षित न हो तो	शिकायत प्राप्त होने पर, शहरी क्षेत्रो में 5 दिवस के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रो में 10 दिवस के भीतर	
(ix) समयावधि जिसके भीतर देयक जारी किया जाना अपेक्षित है	देय तिथि से 15 दिवस पूर्व	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(x) संयोजन के विच्छेद के उपरांत विद्युत प्रदाय का पुनर्संयोजन		
नगर तथा शहर	उपभोक्ता द्वारा देय भुगतान की प्राप्ति से 4 घंटे के भीतर	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
ग्रामीण क्षेत्र	उपभोक्ता द्वारा देय भुगतान की प्राप्ति से 6 घंटे के भीतर	

(xi) अस्थाई संयोजन की स्वीकृति		
निम्न दाब, उच्च दाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ता	जैसा कि यह अधिसूचित विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार लागू हो	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(xii) मापयंत्र (मीटर) संबंधी शिकायतें		
निरीक्षण तथा शुद्धता की जांच	सात दिवस के भीतर	
धीमें, रेंगते हुए या रूके हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना		
जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना, यदि इसका कारण उपभोक्ता पर आरोपित न किया गया हो	शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति सप्ताह (अथवा उसका अंश)
अन्य समस्त प्रकरणों में, जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापन		
(xiii) अदेय प्रमाण (no dues certificate) जारी करना		
परिसर खाली करने या स्थाई संयोजन विच्छेद के प्रकरणों में अन्तिम भुगतान प्राप्त किये जाने पर अदेय प्रमाण पत्र जारी करना	जैसा कि यह अधिसूचित विद्युत प्रदाय संहिता के अनुंसार लागू हो	विलंब होने पर रू.100/– प्रति सप्ताह (अथवा उसका अंश)

Bhopal, the 15th July 2021

No 984/MPERC/2021 - In exercise of the powers conferred under Section 181(1) and 181 (2) (za & zb) read with Section 57,59 and 86 (1) (i) of the Electricity Act 2003 (36 of 2003), and the Electricity (Rights of Consumers) Rules,2020, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in MPERC (Distribution Performance Standards) (Revision -II) Regulations, 2012 (No. RG-08 (II) of 2012) notified on 12th November 2012 in M.P.Gazette.

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (DISTRIBUTION PERFORMANCE STANDARDS (REVISION -II) REGULATIONS, 2012 (ARG-8(II)(i) of 2021)

1. Short title and Commencement: 1.1 These Regulations may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission **(Distribution Performance Standards) (Revision-II) (First Amendment) Regulations, 2012 {ARG-8(II)(i) of 2021}.**

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the M.P. Gazette.

1.3 These Regulations shall extend to the entire State of Madhya Pradesh..

2. Addendum to Chapter VII:

In the Principal Regulations, after Regulation 7.3, following Regulations shall be added namely :-

7.4: The Distribution Licensee shall provide following parameters to the Commission to maintain reliability of supply namely:-

(a) Total duration and frequency of outages per consumer in a year –

i. System average interruption duration index (SAIDI);
ii. System average interruption frequency index (SAIFI);

(b) The minimum outage time (in minutes) that the distribution licensee shall consider for the calculation of SAIDI or SAIFI, as the case may be, shall be separately specified by an order of the Commission.

7.5 : The distribution licensee shall supply 24x7 power to all consumers except agriculture consumers feeding through separate agriculture feeders. The

Distribution licensee shall supply power to such agriculture consumers for minimum 10 hours in a day .

7.6 : The distribution licensee shall put in place a mechanism, preferably with automated tools to the extent possible, for monitoring and restoring outages within 6 months from the date of notification of the Electricity (Rights of Consumers) Rules 2020 notified by the Govt of India

3. **Addendum to Chapter VIII:**

i) In the Principal Regulations, after Regulation 8.1, following shall be added namely:

8.1 A: Consumer shall be automatically compensated for those parameters which can be monitored remotely when it can be successfully established that there is a default in performance of the distribution licensee.

8.1 B: The distribution licensee shall design and maintain its distribution system in such a way that there is a gradual increase in the list of parameters, which can be monitored remotely and for which automatic compensation can be made to the consumer.

8.1 C: The distribution licensee shall establish a mechanism, for automatic payment of compensation amount determined under the provisions of sub-section (2) of section 57 of the Act within six months from the notification of the Electricity (Rights of Consumers) Rules 2020 notified by the Govt of India.

ii) In the Principal Regulations, after Regulation 8.2, following shall be added namely

8.2 A: The distribution licensee, within six months from the date of notification of this regulation by the Commission shall create an online facility on which consumers may register and claim the compensation amount. The information in this regard shall be widely circulated among consumers through appropriate means including mass media, bills, SMS, e-mails or by uploading on licensee's website

8.2 B In all cases of compensation, the payment of compensation shall be made by adjustment against current or future bills for supply of electricity, within 15 days from the determination of claim.

4. Addendum to Chapter IX: In the Principal Regulations, after Regulation 9.10, following shall be added, namely,

9.11 For providing common services like new connection, disconnection, reconnection, shifting of connection, change in name and particulars, load change, replacement of

meter, no supply, the distribution licensee shall establish a centralised 24x7 toll-free call centre. The existing Distribution Licensee shall operationalise such centres within three months of notification of these Regulations. A new Distribution Licensee shall establish and operationalise such centres within three months from commencing licensee work.

9.12 While other modes to provide services like paper application, email, mobile, website, etc., may continue, the licensees shall endeavour to provide all services through a common Customer Relation Manager (CRM) System to get a unified view of all the services requested, attended and pending, at the backend for better monitoring and analytics.

9.13 The CRM shall have facilities for sms, email alerts, notifications to consumers and officers for events like receipt of application, completion of service, change in status of application, etc; online status tracking and auto escalation to higher level, if services are not provided within the specified time period.

5. In the Principal Regulations, in Appendix A, following shall be substituted: -

Service Area	Guaranteed Standards	Compensation payable to affected consumers
i) Responding to Normal Fuse -off Call and rectifications		
Urban areas	Within 4 hours in all working days and Within 5 hours in all non-working days	Rs 100 for each day (or part thereof) of delay in rectification of complaint.
Rural areas	Within 24 hours	
ii) Restoration of supply on account of Line Breakdown (not including breaking /uprooting of poles)		
Urban areas	Within 12 daylights - hours	Rs 100 for each day (or part thereof) of delay in restoration of supply.
Rural areas	Within 3 days	
iii) Distribution Transformer failure		
Replacement of transformer or restoration of supply in Commissionary head quarter	Within 12 hours	Rs 100 each to all the consumers served through the particular transformer.
Replacement of transformer or restoration of supply in urban areas other than Commissionary head quarter	Within 24 hours	
Replacement of transformer or restoration of supply in rural areas	Within 72 hours during dry weather and Within seven days during monsoon season (July to September)	
iv) Period of scheduled outages (not exceeding four times a year)		

Service Area	Guaranteed Standards	Compensation payable to affected consumers
Maximum duration in a single stretch	Not to exceed 12 hours	Rs 100 for each day (or part thereof) of delay
v) Meter Complaints		
Inspect and check correctness	Within 7 days	Rs 100 per week (or part thereof) of delay
Replace slow, creeping or stuck up meters	Within 24 hours in urban areas and 72 hours in rural areas	
Replace burnt meters if cause not attributed to consumer		
Replace burnt meters in all other cases		
vi) Application for new connection/enhancement of contract demand/reduction in contract demand		
Deviation from target in case of LT	As notified under the Electricity Supply Code as applicable	Rs 100 per day (or part thereof) of delay
Deviation from target in case of HT and EHT	As notified under the Electricity Supply Code as applicable	Rs 200 per day (or part thereof) of delay
vii) Conversion of service		
Change of category	Within 15 days after completion of formalities	Rs 100 per day (or part thereof) of delay
Conversion from LT 1-ph to LT 3-ph and vice-versa	Within 15 days from the date of payment of charges and submission of report and within 90 days if extension of line is required	
Time taken for change in consumer details;	10 days from the date of application	Rs. 100 per day (or part thereof) of delay
viii) Resolution of complaints on consumer's bills		
If no additional information is required	Same day of its receipt (except for HT consumers)	Rs 100 per day (or part thereof) of delay
If additional information is required to be collected	Within 5 days in case of urban areas and 10 days in case of rural areas	
(ix) time period within which bills are to be served;	Before 15 days of due date	Rs. 100 per day (or part thereof) of delay
x) Reconnection of supply following disconnection		

Service Area	Guaranteed Standards	Compensation payable to affected consumers
Towns and cities	Within 4 hours of receipt of due payment from consumer	Rs 100 per day (or part thereof) of delay
Rural areas	Within 6 hours of receipt of due payment from consumer	
xi) Release of Temporary connection		
LT, HT and EHT consumers	As notified under Electricity Supply Code, as applicable	Rs 100 per day (or part thereof) of delay
xii) Meter Complaints		
Inspect and check correctness	Within 7 days	Rs. 100 per week (or part thereof) of delay
Replace slow , creeping or stuck up meters	Within 24 hours in Urban areas & 72 hours in Rural areas	
Replace burnt meters if cause not attributable to consumer		
Replace burnt meters in all other cases		
xiii) Issuance of No dues certificates		
Issuance of no dues certificates on receiving final payment in case of vacation of premises or permanent disconnections	As specified in the Supply Code, as applicable	Rs. 100 per week (or part thereof) of delay

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्रमांक 985/मप्रविनिआ/2021 – विद्युत अधिनियम, (2003 का 36) की धारा 181 सहपठित धारा 45 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) एवं धारा 46 सहपठित भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा दिनांक 07.09.2009 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम 2009, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), (आठवां संशोधन) विनियम 2009 {एआरजी–31(I)(viii)वर्ष, 2021}

1. प्रस्तावना :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की मान्यता है कि उपभोक्ता सेवाओं में और अधिक सुधार सुनिश्चित करने तथा प्रचलित विनियमों को भारत सरकार विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 31–12–2020 को अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 से संरेखित करने हेतु उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध तथा संतोषप्रद निराकरण प्रदान करने की दृष्टि से प्रचलित नियमों को पुनरीक्षित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

2. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

(1) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) (आठवा संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी–31 (1) (viii), वर्ष 2021}"** कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

(3) ये विनियम मध्यप्रदेश "राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3. इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 में संशोधन :

प्रधान विनियिमो मे कथित विनियम के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 के सरल क्रमांक IV को संशोधन की अधिसूचना तिथि से निरस्त किया जाता है।

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, सचिव.

Bhopal, the 15th July 2021

No. 985 MPERC- . In exercise of the powers conferred Section 181 read with Section 45(3)(b) and 46 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) read with the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 notified by Government of India and all powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations (Revision-I), 2009 notified on 07.09.2009.

EIGHTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RECOVERY OF EXPENSES AND OTHER CHARGES FOR PROVIDING ELECTRIC LINE OR PLANT USED FOR THE PURPOSE OF GIVING SUPPLY) REGULATIONS (REVISION-I), 2009 {RG-31 (I) of 2009 }

1. Preamble

The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission recognizes that a need has been arisen to revise the existing regulations to align with the Electricity (Rights of Consumers) Rules,2020 notified on 31.12.2020 by the Ministry of power , Govt, of India to ensure further improvement in consumers services as also to provide for timely and satisfactorily resolutions of consumers grievances.

2. Short Title and Commencement

(1) These Regulations shall be called the 'Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations, (Revision-I) 2009 (Eighth Amendment) {ARG-31(1)(viii) of 2021}.

(2) These Regulations shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

(3) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Govt of Madhya Pradesh official Gazette.

3. Amendment to Annexure I Appended with these Regulations :

In the Principal Regulations, Sr. No. IV in Annexure I appended with the Regulations shall be deleted from the date of notification of this amendment.

By order of the Commission,
GAJENDRA TIWARI, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्रमांक 986/मप्रविनिआ/2021 – विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (1) सहपठित धारा 91 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 30.01.2009 को प्रकाशित हुए थे, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में छठवां संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :– (i) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) (छठवां संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी–6(I)(vi), वर्ष 2021}"** कहलाएंगे।

(II) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(III) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. **विनियम 5 (I) में संशोधन :–**

प्रधान विनियमों में विनियम 5 (I) के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए :

5(1)(क) वैयक्तिक परामर्शी को सलाहकार, वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी और अध्येता (रिसर्च फेलो) के चार स्तरों में से किसी एक में उनकी विशेषज्ञता तथा अनुभव पर आधारित निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

5(1)(ख) परामर्शियों की योग्यताएं तथा अनुभव निम्नानुसार होंगे :

शास्त्र विद्या	न्यूनतम योग्यता	न्यूनतम अनुभव के वर्षों की संख्या		
		सलाहकार	वरिष्ठ परामर्शी	परामर्शी
अर्थ शास्त्र	मास्टर डिग्री (स्नातकोत्तर उपाधि)	15	07	03
अभियांत्रिकी	बी.ई या समकक्ष	15	07	03
वित्त	सी.ए./एमबीए (वित्त) / सीडब्ल्यूए/सीएफए	15	07	03
विधि	विधि की डिग्री (स्नातक उपाधि)	15	07	03

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई शास्त्र विद्याओं में से प्रत्येक में अध्येताओं (रिसर्च फेलोज) के तीन पद होंगे। अध्येताओं द्वारा आयोग में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से पूर्व तीन वर्षो के भीतर तत्संबंधी अध्ययन क्षेत्रों में वांछित न्यूनतम अर्हताएं अर्जित की गई होनी चाहिए।

अध्येताओं की नियुक्ति प्रारंभ में परामर्शी आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिये की जाएगी, जिसे आगे अधिकतम तीन वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। अध्येता को आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप समेकित पारिश्रमिक की पात्रता होगी परन्तु यह पारिश्रमिक राशि रू 40,000 (रूपये चालीस हजार) प्रति माह से अधिक न होगी।

3. **विनियम 6 में संशोधन :–**

प्रधान विनियमों में, विनियम 6(1) सहपठित दिनांक 8 मार्च, 2013 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम 2009 के अन्तर्गत शब्द 'पच्चीस' के स्थान पर शब्द 'चालीस' स्थापित किया गया था। इस संशोधन द्वारा अब आगे शब्द 'चालीस' के स्थान पर शब्द 'अस्सी' स्थापित किया जाए।

प्रधान विनियमों में, विनियम 6(2) के अन्तर्गत, सलाहकार, वरिष्ठ परामर्शी तथा परामर्शी हेतु प्रति दिवस पारिश्रमिक राशि 'रू. 2500/–, रू. 1500/– तथा रू. 1000/–' के स्थान पर राशि क्रमशः 'रू. 3000/–, रू. 2000/– तथा रू. 1500/–' स्थापित की जाए।

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, सचिव.

Bhopal, the 15th July 2021

No 986./MPERC/ - In exercise of powers conferred under Section 181(1) read with Section 91(4) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in MPERC (Appointment of Consultants) (Revision-1) Regulations, 2009 which was notified on 30.01.2009 in M.P.Gazette. Namely-

SIXTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (APPOINTMENT OF CONSULTANTS) (Revision – 1) REGULATIONS, 2009.

1. **Short title and Commencement:** (i) These Regulations may be called the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Revision – 1) (Sixth Amendment) Regulations, 2009 {ARG-6(I)(v) of 2021}.**

(ii) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the M.P. Gazette.

(iii) These Regulations shall extend to the entire State of Madhya Pradesh.

2. **Amendments to Regulation 5 (1)**

In the Principal Regulations, the Regulation 5(1) shall be substituted as under:-

5(1) (a). Individual Consultants will be categorized into one of the four levels of Advisor, Senior Consultant, Consultant and Research Fellow based on their expertise and experience.

5(1) (b) The qualifications and experience of the Consultants shall be as below:-

Discipline	Minimum Qualifications	Minimum experience in number of years		
		Advisor	Sr Consultant	Consultant
Economics	Masters Degree	15	07	03
Engineering	B.E. or Equivalent	15	07	03
Finance	CA/MBA(Fin)/CWA/CFA/	15	07	03
Law	Degree in Law	15	07	03

Additionally, there would be three positions of Research Fellows in each of the disciplines indicated in the table above. The Research Fellows should have acquired the desired minimum qualifications in the respective fields within three years preceding the date of initial appointment in the Commission.

The appointment of Research Fellows shall be on Consultancy basis, initially for a

period of one year, may be extendable maximum up to three years. The Research fellow shall be entitled to a consolidated remuneration as decided by the Commission but shall not exceed Rs 40000 (Rs forty thousand) per month.

3. Amendment to Regulation 6

In the Principal Regulations, the Regulation 6(1) read with third Amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants)(Revision-I) Regulations, 2009 notified on 8th Mar, 2013 for the words 'twenty five' the word 'forty' was substituted. Now with this amendment the word 'forty' shall be substituted by the word 'eighty'.

In the Principal Regulations, the Regulation 6(2), Remuneration per day for 'Advisor', Sr. Consultant and Consultant shall be substituted by Rs 3000/-, Rs 2000/- and Rs 1500/- in place of Rs 2500/-, Rs 1500/- and Rs 1000, respectively.

By order of the Commission,
GAJENDRA TIWARI, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्रमांक 987 /मप्रविनिआ/2021 --विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (1) सहपठित धारा 91 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 30--01--2009 को प्रकाशित हुए थे, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण--प्रथम) विनियम, 2009 में पंचम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** : (i) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) (पंचम संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी--6(I)(v), वर्ष 2021}"** कहलायेंगे।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. **विनियम 4 में संशोधन** :

प्रधान विनियमों में खण्ड 4 के स्थान पर निम्न खण्ड स्थापित किया जाए :

"परामर्शी अपेक्षित न्यूनतम कालावधि के लिये वचनबद्ध होगा। वचनबद्धता की अधिकतम कालावधि तीन वर्ष होगी एवं परस्पर सम्मत निबन्धन तथा शर्तों पर कालावधि आगे दो वर्षों के लिये बढ़ाई जा सकेगी।"

3. **विनियम 7 में संशोधन**

प्रधान विनियमों में खण्ड 1 के स्थान पर निम्न खण्ड स्थापित किया जाए :

"विशिष्ट कार्यों के लिए परामर्शियों की नियुक्ति हेतु तैयार की गई वचनबद्धता शर्तें (Terms of Reference) आयोग द्वारा अनुमोदित की जाऐगी। यदि आयोग विभिन्न नियत कार्यों (टास्क)/निर्दिष्ट कार्यों (असाइनमेंन्ट्स) हेतु सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उचित समझे तो वह निर्दिष्ट समयावधि हेतु परामर्शियों की क्रम सूची तैयार करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये उपयुक्त बोली प्रलेख के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर सकेगा।"

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, सचिव.

Bhopal, the 15th July 2021

No.987./MPERC/ - In exercise of powers conferred under Section 181(1) read with Section 91(4) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in MPERC (Appointment of Consultants) (Revision-1) Regulations, 2009 which was notified on 30.01.2009 in M.P.Gazette.

FIFTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (APPOINTMENT OF CONSULTANTS) (Revision – 1) REGULATIONS, 2009.

1. **Short title and Commencement:** (i) These Regulations may be called the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Revision – 1) (Fifth Amendment) Regulations, 2009 {ARG-6(I)(v) of 2021}.**

(ii) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the M.P. Gazette.

(iii) These Regulations shall extend to the entire State of Madhya Pradesh..

2. **Amendments to Regulation 4**

In the Principal Regulations, the clause 4 shall be substituted as follows -

"Consultants will be engaged for the minimum period required. The maximum period of engagement shall be three years and shall be extendable for a further period of 2 years on mutually agreed terms and conditions".

3. **Amendment to Regulations 7**

In the Principal Regulations, the clause 1 shall be substituted as follows:

"Term of Reference (TOR) for the appointment of Consultants for specific tasks will be prepared and approved by the Commission. If the Commission considers it necessary for empanelment of consultants to provide consultancy support for various tasks/ assignments, it may invite the request for proposals for empanelment of consultants through appropriate Bid document for a specified duration.

By order of the Commission,
GAJENDRA TIWARI, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.